

फार्म संख्या 111
फर्द अहकाम

नियम 20

उपखण्डाधिकारी

मुकाम

बारां

A129/12

मुकदमा

अध्वीर

बनाम

श्री गंगा कौ

मि० नम्बर

A129/12

सन्

88, 89, 90, 92, 93, 188

ता
हु

हुकम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज

नम्बर व ता० अहकाम
जो इस हुकम की
तामील में जारी हुए

10/9

रिपोर्ट करे एक डेकी जॉरि दफा इन रिपोर्ट
मिफ जाय जति करी की बली डे की फि
जली मिफ जाय पयरी रिफर 28/9/12
पेज है।

28/9/12
10/10/12
25/10/12

गिरिशिव

28/9/12

गिरिशिव अधिकारी के निम्न कार्य
में रहने से पूर्वकत निम्न
व्यक्त हो।
गिरिशिव
जज रिफर करवकर का

8/11
28/11/12
12/12/12
19/12
2/1/13
17/1/13^{3,8}
22/1/13
31/1/13

10/12

गिरिशिव अधिकारी के निम्न कार्य
में रहने से पूर्वकत निम्न
व्यक्त हो।
गिरिशिव
जज रिफर करवकर का

20/4/13
28/2/13
6/3/13
1/3/13
18/3
1/4

25/12

गिरिशिव अधिकारी के निम्न कार्य
में रहने से पूर्वकत निम्न
व्यक्त हो।
गिरिशिव
जज रिफर करवकर का

1/5/13
11/5/13

बली वली उप जति करी 1 की क्री है
मेरु गीपान डेरा ए न लेकत काम
इ फिफ जति करी 6 रूप डफा जति 4, 9, 10
तुल्य एम डेक नत उनरे रिफर एड फीफ
रिफरी
जि 3 व 5 की तली फल है
ए डे एमकत पेज डे चकरी
रिफर 25/11/12 पेज है।

गिरिशिव
9/5

अधिकारी

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

23/9/25

पत्रावली आज पेश हुई। वकील डिकीदार उप०। तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त जो शा० फ० है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां खसरा नम्बर 200 रकबा 0.76 है०, खसरा नम्बर 871 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.12 है०, खसरा नम्बर 877 रकबा 0.43 है०, खसरा नम्बर 879 रकबा 0.16 है०, खसरा नम्बर 1784 रकबा 0.70 है०, खसरा नम्बर 1785 रकबा 0.77 है०, कुल किता 7 कुल रकबा 2.96 है०, का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

2. ग्राम फतेहपुर तह० बारां की आराजी :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख०नं०	रकबा	लगान
1.	महावीर पुत्र श्रीलाल जाति माली सा० देह रहन BRKGB शाखा फतेहपुर	200	0.38	
		877	0.18	
	किता	2	0.56	
2.	सूरजमल पुत्री श्रीलाल जाति माली सा० देह	200	0.38	
		1784	0.60	
	किता	2	0.98	
3.	चन्द्रकला पुत्री श्रीलाल जाति माली सा० देह	877	0.19	
		1784	0.10	
	किता	2	0.29	
4.	5. हीरालाल पुत्र नारायण हि० 1/4 जाति माली सा० देह			
	6. कला पुत्री नारायण हि० 1/4 जाति माली सा० देह	871	0.02	
	7. मन्नी पुत्री नारायण हि० 1/4 जाति माली सा० देह	876	0.12	
	8. केसर पुत्री नारायण हि० 1/4 जाति माली सा० देह	877	0.06	
		879	0.16	
		1785	0.77	
	किता	5	1.13	

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
बारां

महावीर
गच्छी
इ. इ. इ.
सूरजमल
जलाल
Kumar
O.P. Mahesh

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज०)
अन्तिम डिक्री**

वाद संख्या 129/2012	धारा अन्तर्गत 88,89,90,92,53,188 आर टी एक्ट	अन्तिम निर्णय दिनांक : 23/9/25
समक्ष : श्री विश्वजीत सिंह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:- श्री हरिओम चतुर्वेदी एड० अभिभाषक प्रतिवादी:- श्री ओमप्रकाश मेहता ।। एड०		

वाद शीर्षक

उनवान

1. महावीर पुत्र श्रीलाल जाति माली निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां
2. श्रीमती चन्द्रकान्ती पुत्री श्रीलाल पत्नि श्री धन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम ढोलम तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज०

वादीगण-

बनाम

1. श्री सूरजमल पुत्र श्रीलाल जाति माली निवासी फतेहपुर तहसील बारां
2. श्री हीरालाल पुत्र श्री नारायण जाति माली निवासी फतेहपुर तहसील बारां
3. श्रीमती केसर पुत्री श्री नारायण पत्नि श्री मोहनलाल जाति माली निवासी रामद्वारा मोहल्ला किशनगंज जिला बारां
4. श्रीमती कला पुत्री श्री नारायण जाति माली निवासी फतेहपुर तहसील बारां
5. श्रीमती मुन्नी बाई पुत्री श्री नारायण पत्नि श्री कृपाशंकर जाति माली निवासी टारडीखेडा तहसील अन्ता जिला बारां
6. श्री गिर्राज पुत्र श्री राधाकिशन जाति धाकड निवासी फतेहपुर तहसील बारां
7. श्री नेमीचन्द पुत्र श्री भेरूलाल जाति धाकड निवासी फतेहपुर तहसील बारां
8. श्री ईश्वरीलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति धाकड निवासी सम्बलपुर तहसील बारां
9. श्री भवानीशंकर पुत्र श्री ईश्वरीलाल जाति धाकड निवासी सम्बलपुर तहसील बारां
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां

प्रतिवादीगण-

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:-

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां खसरा नम्बर 200 रकबा 0.76 है०, खसरा नम्बर 871 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 876 रकबा 0.12 है०, खसरा नम्बर 877 रकबा 0.43 है०, खसरा नम्बर 879 रकबा 0.16 है०, खसरा नम्बर 1784 रकबा 0.70 है०, खसरा नम्बर 1785 रकबा 0.77 है०, कुल किता 7 कुल रकबा 2.96 है० का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. ग्राम फतेहपुर तह० बारां की आराजी :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख०न०	रकबा	लगान
1.	महावीर पुत्र श्रीलाल जाति माली सा० देह रहन BRKGB शाखा फतेहपुर	200	0.38	
		877	0.18	
		किता 2	0.56	
2.	सूरजमल पुत्री श्रीलाल जाति माली सा० देह	200	0.38	
		1784	0.60	
		किता 2	0.98	
3.	चन्द्रकला पुत्री श्रीलाल जाति माली सा० देह	877	0.19	
		1784	0.10	
		किता 2	0.29	
4.	1. हीरालाल पुत्र नारायण हि० 1/4 जाति माली सा० देह 2. कला पुत्री नारायण हि० 1/4 जाति माली सा० देह 3. मुन्नी पुत्री नारायण हि० 1/4 जाति माली सा० देह 4. केसर पुत्री नारायण हि० 1/4 जाति माली सा० देह	871	0.02	
		876	0.12	
		877	0.06	
		879	0.16	
		1785	0.77	
		किता 5	1.13	

उप खण्ड अधिकारी
बारां

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन किया जाय
रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेपित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार रु0 का व्ययानुतोष द्वारा
प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 23/9/20 को
निर्गत किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला-बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष	
		वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ()		
10.	योग		

न्यायालय उपखण्ड (पीठासी)

दिनांक 23/9/20 को
उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला-बारां

क्र.सं. :- 125/12
दिनांक :- 8/5/18
दी की ओर से
प्रति में इस वाद में
S.D.O बारां

कि-
एक
फैट
रु 0.43
2.96 रु

पक्षकारान
यह अ